

| <p>तारीख<br/>हुकम</p> | <p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>  | <p>नम्बर व तारीख<br/>अहकाम जो इस<br/>हुकम की तामील<br/>में जारी हुए</p> |
|-----------------------|---|---|
| <p>27/10/25</p>       | <p>पत्रा. पेशा वनीड पत्रा- उपय<br/>उपय स्वड उपय। वास्ते कस्य<br/>18/11/25 से पेश हो <u>Che</u><br/>उपखण्ड अधिकारी<br/>रामगंजमण्डी</p>                                 | <p>27/10/25</p>   |
| <p>18/11/25</p>       | <p>पत्रावली के पत्रा / अधिकारगण<br/>नम्बर / पत्रा / पत्रा / P.O. 2<br/>गिरिजा / उपकारा में। पत्रावली<br/>वास्ते <u>कस्य</u> दिनांक <u>28/11/25</u><br/>को पेश हो।</p> | <p>27/10/25</p>   |
| <p>28/11/25</p>       | <p>पत्रावली के पत्रा / अधिकारगण<br/>नम्बर / पत्रा / पत्रा / P.O. 2<br/>गिरिजा / उपकारा में। पत्रावली<br/>वास्ते <u>कस्य</u> दिनांक <u>28/11/25</u><br/>को पेश हो।</p> | <p>27/10/25</p>   |
| <p>22/11/25</p>       | <p>पत्रा. पेशा वास्ते कस्य 21/11/25<br/>वास्ते <u>कस्य</u> <u>Che</u><br/>उपखण्ड अधिकारी<br/>रामगंजमण्डी</p>  | <p>27/10/25</p>   |
| <p>8/1/26</p>         | <p>पत्रा पेशा   वास्ते आदेश<br/>30/1/26<br/><u>Che</u><br/>उपखण्ड अधिकारी<br/>रामगंजमण्डी</p>   | <p>27/10/25</p>   |
| <p>30/1/26</p>        | <p>पत्रा पेशा   वास्ते आदेश 5/3/26<br/>को पेश हो।<br/><u>Che</u><br/>उपखण्ड अधिकारी<br/>रामगंजमण्डी</p>   | <p>27/10/25</p>   |
| <p>5/3/26</p>         | <p>पत्रा पेशा  <br/>पत्रावली का अवलोकन किया गया<br/>मार्थी द्वारा यह प्रार्थना की गई</p>  | <p>27/10/25</p>   |

| तारीख<br>हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुकम की तारीख<br>में जारी हुए |
|---------------|---|---|
|               | <p>             कि प्रतिवादी उसकी खालेदारी की<br/>             शक्ति पर कब्जा करने की कोशिश<br/>             कर रहा है। इसलिए प्रतिवादी के<br/>             खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाये<br/>             वादी वादग्रस्त शक्ति का खालेदार है<br/>             रिकार्ड में शक्ति उसके नाम पर<br/>             दर्ज है।<br/>             इस बात में अपूर्णतया क्षति की<br/>             सम्भावना प्रतीत नहीं होती।<br/>             बाद 12/4/2024 से न्यायालय में<br/>             चल रहा है परन्तु वादी द्वारा<br/>             कोई भी तर्क नहीं दिया कि यह<br/>             अच्युत में प्रतिवादी ने वादी की<br/>             शक्ति की अपूर्णतया क्षति हुई है<br/>             क्योंकि शक्ति वादी के नाम ही है<br/>             इसलिए हस्तान्तरण होना भी संभव<br/>             नहीं है।<br/>             अतः न्यायालय प्रथमा पत्र जारी<br/>             फरमाती है।<br/>             निर्णय आज दिनांक 13/26 को<br/>             सुनाया गया।<br/>             फैसला सुमाह होकर पारित<br/>             वफावर है।           </p> |   |

Che  
 13/26